

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 770

दिनांक 11/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.रायचन्द्रराम 2.खुमाराम 3.देराजराम पि.
गंगाराम 4.चूनीदेवी पत्नि रायचन्द्रराम के का.मु.
4/1.थानाराम 4/2.कंवराराम पि.रायचन्द्रराम
निवासी देवाणियों का तला
5.डालूराम पुत्र गंगाराम 6.चुन्नीदेवी पत्नि
वगताराम, जातियान जाट, निवासी आदर्श नगर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.वनाराम पुत्र शेराराम
जाति जाट, निवासी भादूओं का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 94/2021

दिनांक : 05.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नेतराड के मौजा भादूओं का तला के खेत खसरा सं. 107/44 रकबा 31.12 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 771 to 774

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण रायचंद्रराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण वनाराम
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 11/04/2022



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 11/04/2022